No. 007420

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या 535

वर्ष 2010 - 2011

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि अभियान ग्रामीण विकास स्वयं सेवी संस्थान

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख दो मास अक्टूबर वर्ष दो हजार दस को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

गवर्नमेन्ट प्रेस, राँची ।

अविराम ग्रामीण विकास स्वंय सेवी संस्थान

का

संशोधित स्मृति पत्र

1. सस्था का नाम – इस सस्था का नाम – अविराम ग्रामीण विकास स्वंय सेवी संस्थान होगा

2. निबन्धित कार्यालय – इस संस्थान का निबन्धित कार्यालय –

सेवा मे

इन्द्रजीत भारती का आवास :– आवास संख्या – 1
अविराम ग्रामीण विकास स्वंय सेवी संस्थान
ग्राम– माराडीह, पोस्ट– कुड़ू, थाना– कुड़ू, जिला–लोहरदगा,
पिन – 835213

3 सस्था का कार्यक्षेत्र – इस संस्थान का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य मे होगा।

इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे।

क झारखंड के जिले के पुरुष एव महिलाओं विशेषतः वनवासी आदिवासी हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य दृष्टि से विकास कर देश की अन्य पुरुषों एवं महिलाओं के समान मानवीय स्तर पर लाना, वन एव पर्यावरण का संरक्षण और विकास हेतु वातावरण तैयार करना, विभिन्न कार्यक्रम जिसमे निजी, सामुदायिक एव सरकारी भूमि पर वनारोपण सम्मिलित है का अभियान चलाना एव सम्पादन करना

सर्वोदय तथा सहयोग के सिद्धांत पर ग्राम स्वराज्य की स्थापना करना, मद्य निषेध से संबधित कार्यक्रमों को विकसित करना एवं नशाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाना,

ग्रामीण शहरी एव आदिवासी क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी पर आधारित शौचालय एव [illegible] प्लाट का निर्माण तथा राज्य सरकार की मदद करना, ग्रामीण , शहरी एव आदिवासी क्षेत्रो मे पेय जल की सुविधा हेतु चापाकल, नलकूप ,तालाब एवं कुँआ बनाना।

ख शारीरिक एवं मानसिक रुप से विकलांग ,मूक, बधिर अन्य असहाय बच्चों के लिए रोजगार उन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करना साथ ही अनाथालय एवं पालना घर की

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

Scanned with OKEN Scanner

स्थापना करना, ग्रामवासियों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर नृत्य, नाटक, संगीत, वाद्य - वादन आदि कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना। महिलाओ के बीच परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना तथा इससे सम्बन्धित सेमीनार का आयोजन करना, महिला एव पुरुषो के बीच प्रौढ–शिक्षा कार्यात्मक साक्षरता का संचालन कर निरक्षरता का उन्मूलन करना।

महिलाओ एव पुरुषो की आर्थिक दशा सुधारने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना जैसे मुर्गी पालन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, डेयरी प्रशिक्षण, बकरी पालन, मत्स्य पालन आदि।

ग नर्सिंग महाविद्यालय, ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0 एस0सी0, नर्सिंग, एवं अन्य नर्सिंग महाविद्यालय, फार्मेसी - बी0 फार्मा, डी0 फार्मा, एम0 फार्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इण्टरमीडिएट स्नातक एव परास्नातक (सभी वर्गो एवं विषयों मे), I.T.I पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, डी0एल0एड0, बी0एड0, एम0एड0 बी0पी0एड0, एम0पी0एड, डी0एल0एड इत्यादि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की स्थापना। स्वायत्त विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रबंधन एवं कम्प्यूटर के क्षेत्र में बी0सी0ए, एम0सी0ए0 बी0बी0ए0, एम0बी0ए की स्थापना। योग महाविद्यालय की स्थापना, लॉ महाविद्यालय की स्थापना, बी0 आर्च0, एम0 आर्च इत्यादि महाविद्यालय की स्थापना, संगीत एव कला महाविद्यालय, विजुअल आर्टस, बी0एफ0ए0, एम0एफ0ए0 से संबंधित पाठ्यक्रमो को संचालित करने हेतु इसे संस्थान के उद्देश्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाय।

घ बच्चों के स्वास्थ्य विकास हेतु टीका लगाने हेतु केन्द्र की स्थापना करना उनके बीच पौष्टिक आहार वितरण कराने की व्यवस्था करना। युवक/युवतियों को स्व–नियोजित बनाने हेतु सिलाई, कढाई, बुनाई, पलम्बर,इलेक्ट्रीशयन, रानी मिस्त्री, राज मिस्त्री, काशीदाकारी, काठ का खिलौना, बेत की कुर्सी, टेबुल, दरी, कम्बल, अगरबत्ती,सॉस, जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, पापड मोमबत्ती, स्याही आदि बनाने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना, परती एव बंजर भूमि का विकास करना भू–संरक्षण तथा सिचाई की व्यवस्था जुटाना, भूमि की क्षमता के अनुसार कृषि एवं वन के लिए की अलग–अलग कार्यक्रम चलाना। कृषि विकास के लिए नहर तालाब, कुआ अच्छे किस्म के बीज आदि की आपूर्ति कराने की व्यवस्था करना। कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं जागरुकता कार्यक्रम का संचालन।

ङ संस्था द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार /केन्द्रीय सरकार के समक्ष अपनी कठिनाइयों को रखकर आर्थिक नैतिक एवं वैधानिक सहयोग प्राप्त

This CERTIFIED copy is valid only with the Non-Judicial Stamp of Rs.3.15

Scanned with OKEN Scanner

करना। बाल श्रम निषेध ,मानव तस्करी, दहेज उन्मूलन, कन्या भ्रूण हत्या, जनसंख्या विस्फोट कचरा प्रबंधन सेनिटरी पैड के प्रयोग ,निर्माण पर जागरुकता, वर्षा का जल सरंक्षण , उर्जा बचत एवं सरंक्षण ,पर्यावरण एवं सामाजिक मुददो पर जागरुकता कार्यक्रम चलाना। संस्थान भविष्य मे किसी भी तरह का व्यवसाय नही करेगी।

- संस्थान भविष्य मे किसी भी तरह का व्यवसाय नही करेगी।

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

Scanned with OKEN Scanner

5 **संस्था कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण** :– निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम / पिता / पति का नाम पद पता एवं पेशा नीचे दिया गया है। कार्यकारिणी समिति के सदस्य है जिनपर संस्था की नियमावली के अनुसार प्रबन्ध का भार सौंपा गया है।

क्र0	नाम / पिता / पति का नाम	पता	उम्र	योग्यता	पेशा	पदनाम	फोटोग्राफस	हस्ताक्षर
1	श्री नवल तुरी, पिता–स्व0 धीरेन्द्र तुरी	ग्राम–कुडू, डोडोटोली, पो0–पण्डरा, जिला–राँची	44	आई0ए0	कृषि	अध्यक्ष		
2	श्री लक्षमण उराँव पिता–स्व0 कादु उराँव	ग्राम–माराडीह, पो0–पण्डरा जिला–राँची	43	आई0ए0 स0सी0	कृषि	उपाध्यक्ष		
3	श्री इन्द्रजीत भारती, पिता श्री राजेन्द्र भारती	ग्राम–माराडीह, पो0–पण्डरा, जिला–राँची	48	बी0एस0सी0	कृषि	सचिव		
4	सुश्री सन्ध्या कुजूर, पिता–श्री एजेरकस कुजूर	ग्राम–टाटी, पो0–कुडू, जिला–लोहरदगा	44	[illegible]	कृषि	कोषाध्यक्ष		
5	श्री बिरेन्द्र बाघवार, पिता–श्री सा.. बाघवार	ग्राम कुडू, डोडोटोली, पो0–पण्डरा, जिला–राँची	43	आई0ए0	कृषि	सदस्य		
6	श्री इन्द्रनील भारती पिता–श्री इन्द्रजीत भारती	ग्राम–माराडीह, पो0–पण्डरा, जिला–राँची	19	बी0ए0	कृषि	सदस्य		

अविराम ग्रामीण विकास

7	श्रीमती सुशीला उरांव, पिता / पति फोदा उरांव	ग्राम–दोबा, पो०–कुडू जिला–लोहरदगा	39	इन्टर	कृषि	सदस्य		[illegible]

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

अभिराम ग्रामीण विकास [illegible] सेवी संस्थान

[illegible] [illegible]

6 आजकाली पदाधिकारियों की सूची एवं विवरण :– निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम पिता/पति का नाम पता पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है। इस संस्था की स्मृति पत्रानुसार संस्था को सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21.1860 के अन्तर्गत निबन्धन कराना चाहते हैं।

क्र०	नाम /पिता/पति का नाम	पता	उम्र	योग्यता	पेशा	पदनाम	फोटोग्राफ्स	हस्ताक्षर
1	श्री नवल तुरी, पिता–स्व० वीरेन्द्र तुरी	ग्राम–कुडु, कोकोटोली, पो०–पन्दहा, जिला–सीधी	[illegible]	आई०ए०	कृषि	अध्यक्ष		नवल तुरी
2	श्री [illegible] उरांव, पिता–स्व० [illegible] उरांव	ग्राम–[illegible], पो०–पन्दहा, जिला–सीधी		आई०एस० सी०	कृषि	उपाध्यक्ष		[illegible]
3	श्री इन्द्रजीत भगत, पिता श्री राजेन्द्र भगत	ग्राम–[illegible], पो०–पन्दहा, जिला–सीधी	40	बी०एस० सी०	कृषि	सचिव		[illegible]
4	सुश्री [illegible] कुजूर, पिता–श्री [illegible] कुजूर	ग्राम–टाटी, पो०–कुडु, जिला–लोहरदगा	44	बी०ए०	कृषि	कोषाध्यक्ष		[illegible]
5	श्री विरेन्द्र [illegible], पिता–श्री [illegible]	ग्राम–कुडु, कोकोटोली, पो०–पन्दहा, जिला–सीधी	[illegible]	आई०ए०	कृषि	सदस्य		विरेन्द्र [illegible]

अधिकृत ग्रामीण विकास [illegible] रांची झारखण्ड

Binh Bhagat

नवल तुरी

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

Scanned with OKEN Scanner

6	श्री [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	कृषि	सदस्य		[illegible]
7	श्रीमती [illegible]	[illegible]	[illegible]	इन्टर	कृषि	सदस्य		[illegible]

उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता [illegible] को मैं पहचानता हूँ जिन्होंने अपना हस्ताक्षर मेरे सामने किया है ।

ह0/
अधिवक्ता [illegible], पोस्ट – कुडू
जिला – लोहरदगा

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

अविराम ग्रामीण विकास स्वयं सेवी संस्थान

सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

अविराम ग्रामिण विकास स्वंय सेवी संस्थान

का

संशोधित नियमावली

1 परिभाषा :–

क संस्था से अभिप्राय है – अविराम ग्रामिण विकास स्वय सेवी संस्थान

ख समिति से अभिप्राय है – संस्था की कार्यकारिणी समिति।

ग पदाधिकारी से अभिप्राय है :– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष

घ ऐक्ट से अभिप्राय है – सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21,1860।

2 सदस्यता :–

कोई भी महिला एवं पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का होगा और जो संस्था के उद्देश्यों एवं नियमों का पालन करेगा संस्था का सदस्य बन सकते है। सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा की जायेगी। सदस्यों को प्रवेश शुल्क 11/– रुपया एवं मासिक सदस्यता शुल्क 5/ रुपया प्रतिमाह देना होगा।

3 सदस्यता से विमुक्ति :–

क स्वय त्याग पत्र देने पर।

ख अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

ग तीन माह तक लगातार सदस्यता शुल्क नही देने पर

घ संस्था के नियम विरुद्ध आचरण करने पर

ङ मृत्यु या पागल होने पर

4 कार्यकारिणी समिति का गठन

क संस्था की व्यवस्था कार्यकारिणी समिति करेगी जिसमे पदाधिकारी सहित सात सदस्य होगें।

This CERTIFIED copy is valid only with the original stamp of Rs.3.15

Scanned with OKEN Scanner

4 कार्यकारिणी समिति का गठन :–

क संस्था की व्यवस्था कार्यकारिणी समिति करेगी जिसमें पदाधिकारी सहित सात सदस्य होगें।

ख समिति का कार्यकाल 5 पॉच वर्ष का होगा । निवुत्त पुनः निर्वाचित किये जा सकते है ।

ग समिति में कोई पद रिक्त होने पर समिति उक्त पद पर शेष अवधि के लिए किसी अन्य सदस्य को मनोनीत कर सकता है ।

घ समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा होगा।

5 कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

क सदस्यता स्वीकार या अस्वीकार करना

ख वार्षिक विवरणी तैयार करना एवं आम सभा में उपस्थपित करना

ग संस्था की सम्पत्ति का उत्तरदायी होना।

घ संस्था के उददेश्यों की पूर्ति के लिए अन्य वैधानिक कार्य करना।

6 पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

अध्यक्ष :–

क प्रत्यंक बैठको की अध्यक्षता करना

ख संस्था के कार्यों पर नियन्त्रन रखना

ग विशेष परिस्थिति में किसी विषय पर अपना निर्णायक मत देना

उपाध्यक्ष

क अपने जिसमे सभी प्रकार के कार्यों का निष्पादन करना

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

Scanned with OKEN Scanner

ख अध्यक्ष के कार्य में सहयोग पहुँचाना

ग अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करना।

सचिव

क सभी बैठको का आयोजन करना

ख सभी कार्यवाही , अध्यतन रखना

ग समिति के पूर्व अनुमति के बिना 1000/ (एक हजार) स्वंय तक व्यय करना।

घ संस्था के उददेश्यों की पूर्ति के लिए सभी तरह का प्रयास करना।

ङ कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वर्खास्तगी करना

च संस्था से संबंधित सभी तरह का पत्राचार करना।

छ बैठक की कार्यवाही की कार्यवाही पंजी में अंकित करना एवं सभी सदस्यों की कार्यवाही से अवगत कराना।

कोषाध्यक्ष

क आय–व्यय लेखा रखना

ख आय–व्यय लेखा का वार्षिक विवरण आम सभा की बैठक में करना।

ग आय–व्यय लेखा का अंकेक्षण कराना

घ संस्था के नाम प्राप्त राशि का रसीद काटना एवं उसे अपने सचिव का हस्ताक्षर कराना

ङ संस्था के हित में अधिक से अधिक धन संग्रह करना।

7 संस्था का कोष :–

समिति द्वारा निर्धारित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में संस्था के नाम प्राप्त रकम को जमा करना और

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, सचिव, एवं कोषाध्यक्ष इन तीनों में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी करना।

8 आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्यः–

क समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।

ख समिति के अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार करना।

ग संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन एवं बजट की स्वीकृति देना।

घ संस्था के आय व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति देना।

ड अंकेक्षक को नियुक्त करना।

9 आय का साधन :–

क सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क

ख दान,अनुदान एवं ऋण

ग संस्था द्वारा उत्पादित वस्तु।

घ सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा

10 समिति की बैठक :–

क समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी।

ख आम सभा की वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में होगा

ग विशेष या अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

11 बैठक की सूचना

क सामान्य बैठक की सूचना दस दिन पूर्व दी जायेगी।

ख आवश्यक बैठक की सूचना 48 घन्टे पूर्व दी जायेगी।

ग बैठक की सूचना डाक या पेजी द्वारा दी जायेगी।

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

Scanned with OKEN Scanner

12 प्रार्थिक बैठक :–

एक तिहाई सदस्यों के लिखित मॉग पर सचिव को आवेदन में लिखित विषयों के निणर्य हेतु बैठक बुलानी होगी। यदि सचिव एक माह के अन्दर बैठक नही बुलायेगें तो आवेदको को अधिकार होगा की उक्त अवधि के बाद आवेदन में लिखित विषय के निर्णय हेतु बैठक आयोजन कर सकते है , किन्तु इसकी सूचना विधिवत सभी सदस्यों को दी जायेगी।

13 गणपूर्त्ति (कोरम) :–

किसी भी बैठक के लिए कोरम उसके कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा कोरम की पूर्ति नही होने पर बैठक स्थगित हो जायेगी। किन्तु स्थगित बैठक के लिए पुनः कोरम की आवश्यकता नही होगी और पूर्व निर्धारित विषयों पर ही विचार किया जायेगा।

14 नियमावली में संशोधन :–

नियमावली में कोई भी संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा।

15 निधि का अंकेक्षण :–

संस्था का आय व्यय का लेखा समुचित रुप से रखा जायेगा और प्रतिवर्ष आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षित किया जायेगा।

16 पंजी का निरीक्षण :–

संस्था की सभी पंजियॉ निबन्धित कार्यालय में रहेगी जहॉ कोई भी सचिव की अनुमति से सदस्य पेजी , लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी निरीक्षण कर सकते है

17 कानूनी कार्यवाई :–

सभी तरह का कानूनी कार्यवाई जो संस्थ पर या संस्था द्वारा ही उसका संचालन सचि करेंगें उन्हे अध्यक्ष की राय से वकील नियुक्त करने का अधिकार होगा।

18 अन्यान्य :–अन्य आवश्यक विषय जिनका उल्लेख इस नियमावली में नही हो पाया है उनके सम्बंध में सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21,1860 एवं इससे सम्बंधित नियमावली पर लागू होगा।

This CERTIFICATE is valid only with the Non-Judicial Stamp of Rs.3.15

Scanned with OKEN Scanner

19 संस्था का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्थाः—

क अगर किसी कारणवश संस्था का विघटन करना पडे तो विघटन आप सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जा सकता है ।

ख विघटनोपरान्त संस्था की सारी चल एवं अचल सम्पत्ति सदस्यों या गैर सदस्यों में नही वितरित की जायेगी, बल्कि समान उदेश्य वाले दूसरी संस्था या सरकार की आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से दे दी जायेगी।

हम प्रमाणित करते है कि अविराम ग्रामीण विकास स्वंय सेवी संस्थान नामक संस्था की नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है ।

ह0/अध्यक्ष ह0/–सचिव ह0/– कोषाध्यक्ष

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है

वास्ते निबन्धन महानिरीक्षक झारखंड रॉची

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

Scanned with OKEN Scanner